रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

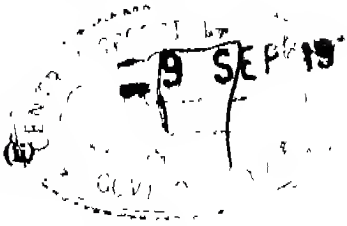
भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 387] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 1976/भाद्र 8, 1898

No. 387] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 1976/BHADRA 8, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th August 1976

S. O. 574(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in continuation of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. S.O. 443(E) dated 30-6-1976 the Central Government hereby directs that every employer in relation to an establishment exempted under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 17 of the said Act or in relation to any employee or class of employees exempted under paragraph 27, or as the case may be, paragraph 27A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, shall transfer the monthly provident fund contributions, in respect of the establishment or as the case may be, of the employee or class of employees within fifteen days of the close of the month, to the Board of Trustees, duly constituted in respect of that establishment, and that the said Board of Trustees shall invest every month, within a period of two weeks from the date of receipt of the said contributions from the employer, the Provident Fund accumulations in respect of the establishment or as the case may be, of the employee, or class of employees

that is to say, the contributions, interest and other receipts as reduced by any obligatory outgoings in accordance with the following pattern namely :—

(i) Government securities as defined in Clause (2) of Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by the Central Government	Not less than 25%
(ii) Government securities as defined in clause (2) of Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government.	Not less than 25%
(iii) Any other negotiable securities or bonds, the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government.	
(iv) 7-Year National Savings Certificates (Second Issue and Third Issue) or Post Office Time Deposits.	Not exceeding 30%
(v) Special Deposit Scheme introduced by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F.16(1)-PD/75 dated 30-6-1975.	Not exceeding 20%

The above pattern will be in force for the period from the 1st September, 1976 to 30th November, 1976.

2. All re-investment of provident fund accumulations shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

3. The Board of Trustees shall formulate proper procedure for prompt investment or re-investment of accumulations in accordance with the aforesaid directions.

[No. G.27035(5)/76-PFI(i)]

श्रम मंत्रालय

अधि सूचनाएं

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1976

का० आ० 574 (अ).—कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 443 (अ) तारीख 30-6-1976 के क्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) या (ख) के अधीन छूट प्राप्त स्थापना से सम्बद्ध या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 27 या, यथास्थिति, पैरा 27 क के अधीन छूट प्राप्त किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग से सम्बद्ध नियोजक भविष्य निधि के मासिक अभिदाय उस स्थापन की बाबत सम्यक रूप से गठित न्यासी बोर्ड को मासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर अन्तरित कर देगा और उक्त न्यासी बोर्ड भविष्य निधि संचयनों को, अर्थात् अभिदायों, ब्याज और विविध प्राप्तियों को बाद्धकर निर्गमों को कम करके निम्नलिखित नमूने के अनुसार, हर मास नियोजक से उक्त रकमों की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर विनिहित करेगा, अर्थात् :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट तथा जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां, 25% से जिनकी परिभाषा सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 अन्यून का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) में की गई है ।

(2) किसी भी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट तथा जारी की गई प्रतिभूतियां जिनकी परिभाषा सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) में की गई है ।	25 प्रतिशत से अन्यून
(3) कोई अन्य विनिमेय प्रतिभूतियां या बांड, जिनका मूलधन तथा जिनका ब्याज केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः तथा बिना शर्त गारंटीकृत हो ।	
(4) 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (दूसरा और तीसरा अंक) या डाकघर सावधि जमा ।	30 प्रतिशत से अनधिक
(5) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ-16(1)/पीडी/75, तारीख 30-6-1975 द्वारा आरंभ की गई विशेष जमा योजना ।	20 प्रतिशत से अनधिक

उपर्युक्त नमूना प्रथम सितम्बर, 1976 से 30 नवम्बर, 1976 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

2. भविष्य निधि संचयनों के सभी पुनर्विनिधान भी ऊपर पैरा 1 में वर्णित नमूने के अनुसार किए जायेंगे ।

3. न्यासी बोर्ड संचयनों के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसार तत्काल विनिधान या पुनर्विनिधान के लिए उचित प्रक्रिया बनाएगा ।

[सं० जी-27035(5)/76-पी० एफ० I(i)]

S.O. 575(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and in continuation of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour No. S.O. 444(E) dated 30-6-1976 the Central Government hereby directs that all monies belonging to the Fund shall be invested in accordance with the following pattern, namely :—

(i) Government securities as defined in Clause (2) of Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by the Central Government.	Not less than 25%
(ii) Government securities as defined in Clause (2) of Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government. (iii) Any other negotiable securities or bonds, the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government.	Not less than 25%
(iv) 7-Year National Savings Certificates (Second Issue and Third Issue) or Post Office Time Deposits.	Not exceeding 30%
(v) Special Deposit Scheme introduced by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 16(1)-PD/75 dated 30-6-1975.	Not exceeding 20%

The above pattern will be in force for the period from the 1st September, 1976 the 30th November, 1976.

2. All re-investment of provident fund accumulations shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

[No. G.27035(5)/76-PFI(ii)]

(S. S. SAHASRANAMAN) Dy. Secy.

का० आ० 575 (अ).—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 52 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 444 (अ) तारीख 30-6-1976 के क्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि निधि की सारी राशियों को निम्नलिखित नमूने के अनुसार विनिहित किया जायेगा, अर्थात्:—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां जैसी कि सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खंड (2) द्वारा परिभाषित की गई हैं।	25 प्रतिशत से अन्यून
(2) किसी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां जैसी कि सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) में परिभाषित की गई है।	25 प्रतिशत से अन्यून
(3) कोई अन्य हस्तान्तरणीय प्रतिभूतियां या बन्ध पत्र जिनकी मूल राशि और उन पर सूद पूर्णतः और बिना शर्त के केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हो।	25 प्रतिशत से अन्यून
(4) 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (द्वितीय अंक और तृतीय अंक) या डाकघर आवधिक जमाओं में।	30 प्रतिशत से अनधिक
(5) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्यविभाग) की अधिसूचना संख्या एफ-16 (1)-पीडी/75, तारीख 30-6-1975 द्वारा आरंभ की गई विशेष जमा योजना।	20 प्रतिशत से अनधिक

उपर्युक्त नमूना प्रथम सितम्बर, 1976 से 30 नवम्बर, 1976 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

2. भविष्य निधि संचयनों के सभी पुनर्विनिधान भी ऊपर पैरा 1 में वर्णित नमूने के अनुसार किए जायेंगे।

[सं० जी-27035 (5)/76-पी एफ-1 (ii)]

एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976